फर्द अहकाम 2020/01786

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

लालचंद बनाम **पूर्णराम**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 168 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
30.12.2020	प्रार्थी / सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण / गैरसायल 1 इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 74 / 70 के खसरा न0 374 की 1.400हैक खसरा न0 374 / 1 की 0.2440हैक कुल 1.6440हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 10.02.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर उपखण्ड अधिकारी नोहर	
10/2/21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली दि0 30/3/21 को पेश हो	
30/3/21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में पत्रावली दि0 ....को पेश हो 2/7/21	
2/7/21	वकील सायल उपस्थित गैरसायल उपस्थित नहीं गैरसायल की तलबी हेतु आवश्यक तौर से रजिस्टर सम्मन हो व बाद पत्रावली दि 13/9/21 को पेश हो	

Scanned with CamScanner

14/7/21

वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई। वकील वादी सायल ने निवेदन किया कि पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है। प्रार्थनापत्र खारिज करावें।

सायल वादी स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner